

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं० 152/2023

तारीख रजू :- 20/8/2023

दावा बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मिशल आई0डी0 नम्बर 2023/313

पू पि जवाली जाति जांगिड निवासी खातीपुरा तहसील सूरौठ जिला करौली राजस्थान

--वादी-12

बनाम

शिवदयाल उर्फ शिवकुमार पुत्र जवाली जरिये नेक्सफ्रेड जाति जांगिड निवासी खातीपुरा तहसील सूरौठ जिला करौली राजस्थान

--प्रतिवादीगण-39

दिनांक	फर्द अहकाम
08/08/2023	<p>यह दावा वादी की ओर से श्री अशोक निमनका एडवोकेट के जरिए पेश हुआ, प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 18.08.2023 को पेश हो।</p> <p>(सुरेश कुमार हरसोलिया) उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली</p>
18/8/23	<p>वकूलाय उपरिधत/पीठासीन अधिकारी ने पत्रावली पेश की है। गतानुसार दिनांक 8-9-23 को पेश हो।</p>
8/9/23	<p>वकूलाय उपरिधत/पीठासीन अधिकारी ने पत्रावली पेश की है। गतानुसार दिनांक 8-12-23 को पेश हो।</p>
19/9/23	<p>पत्रावली का जवाब मिलान करने में जांच पत्र पेश हुआ। वादी व वादी वकील का उपस्थित। वादी व वादी वकील ने उनगह स्वीकार किया कि वादी व वादीगण की ल एनकरा मार्ग गरी चलाना चाहते हैं। वादी व वादीगण वकील एकरा नीट उमेर में स्वीकार करना चाहते हैं। अहः मुं० नं० 152/23 शकत पत्र बनाम शिवदयाल नीट उमेर के अतिरिक्त किया जाता है। पत्रावली के मिलान के अंतर्गत नम्बर 31 नमदी।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली</p>